

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी

फुरसतगंज एयरफील्ड

रायबरेली (भारत)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुभाग 4(1) (बी) के अंतर्गत इगुआ से संबंधित
सूचना

मैनुअल - iii

पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चैनलों सहित निर्णय लेने की कार्यविधि में अपनाई जाने वाली
प्रक्रिया

अनुभाग 4 (1) बी (iii)

परिचय, संशोधन, निरस्तीकरण, आदि नीतिगत मामलों के संबंध में निरंतर अंतराल पर अंतर्विभागीय और इंद्रा विभागीय विचार विमर्श किया जाता है। अनुभागीय प्रधान, विभागीय प्रधान एवम निदेशक कार्यालय नोट्स के चैनल हैं। प्रत्योजित प्रशासनिक एवम वित्तीय शक्तियों तथा प्रचलित एवम स्थापित प्रथाओं के अंतर्गत निदेशक द्वारा निर्णय लिये जाते हैं।

लिये गये निर्णयों पर उच्च प्राधिकारियों यथा गवर्निंग काउंसिल, सरकार और/अथवा किसी अन्य प्राधिकारी जो कि स्थापित प्रथाओं के अनुसार मामलों का निपटारा करते हैं की सहमति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

अकादमी का प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुभाग 4(1) (बी) के अंतर्गत अकादमी मैनुअल ii में वर्णित, आवंटित कार्यों/सौंपी गयी जिम्मेदारियों के प्रति उत्तरदायी है।